

**बिहार सरकार,
कृषि विभाग।**

पत्र संख्या—NHM/BHDS/53/2025—~~404/2025~~-08 - /क०, पटना, दिनांक 25/04/2025
प्रेषक,

कल्पना कुमारी,
अपर सचिव,
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

सेवामें,

महालेखाकार, बिहार,
वीरचन्द पटेल पथ, पटना।

(+) अनौपचारिक रूप
से परामर्शित।

द्वारा : वित्त विभाग, बिहार, पटना। (+)

विषय : चतुर्थ कृषि रोड मैप के अधीन वित्तीय वर्ष 2025-26 में एकीकृत बागवानी विकास मिशन अंतर्गत छोटी नर्सरी की स्थापना के लिए कुल 100.00 लाख (एक करोड़) रुपये की निकासी एवं व्यय की स्वीकृति।

आदेश : स्वीकृत।

चतुर्थ कृषि रोड मैप के अधीन वित्तीय वर्ष 2025-26 में एकीकृत बागवानी विकास मिशन अंतर्गत छोटी नर्सरी की स्थापना के लिए कुल 100.00 लाख (एक करोड़) रुपये की निकासी एवं व्यय की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2. इस योजना का मुख्य उद्देश्य राज्य में उद्यानिक फसलों के गुणवत्तायुक्त पौध समग्री का उत्पादन कराकर इच्छुक कृषकों को सुगमतापूर्वक पौध समग्री की उपलब्धता सुनिश्चित कराना, उद्यानिक फसलों का क्षेत्र विस्तार कराना तथा उत्पादन एवं उत्पादकता में वृद्धि फलस्वरूप संबंधित कृषकों के आय में वृद्धि करना है।

3. योजना का भौतिक आकार अनुसूची-1 के अनुरूप कुल 100.00 लाख (एक करोड़) रुपये की है तथा योजना का कार्यान्वयन वित्तीय वर्ष 2025-26 में किया जाना है।

4. भारत सरकार से प्राप्त मार्गदर्शिका के अनुरूप वित्तीय वर्ष 2025-26 में "एकीकृत बागवानी विकास मिशन" की कार्य योजना तैयार की गई है, जो State Level Sanctioning Committee (SLSC) से दिनांक 30.12.2024 को अनुशंसित है, बिहार बागवानी विकास सोसाईटी, पटना का पत्रांक NHM/BHDS/385/2024-196 दिनांक 27.01.2025 के आलोक में SLSC अध्यक्ष के अनुमोदन उपरान्त छोटी नर्सरी की स्थापना की संख्या 10 कर दी गई है। अगामी SLSC की बैठक में इसकी अनुशंसा प्राप्त कर ली जायेगी। इस योजना के कार्यान्वयन हेतु वित्तीय वर्ष 2025-26 में केन्द्रांश 60.00 लाख (साठ लाख) रुपये एवं राज्यांश 40.00 लाख (चालीस लाख) रुपये की है। योजना का विस्तृत विवरणी अनुसूची- 2 के रूप में संलग्न है।

5. इस योजना अन्तर्गत लगभग 1200 मानव दिवस सृजन की संभावना है।

6. इस योजना के कार्यान्वयन हेतु राज्य स्तर से विज्ञापन निकाला जायेगा तथा विज्ञापन के आलोक में छोटी नर्सरी की स्थापना हेतु एक मॉडल प्रोजेक्ट संबंधित जिला के सहायक निदेशक उद्यान के कार्यालय में समर्पित किया जायेगा।

A

for

RB

①

7. मॉडल प्रोजेक्ट का मूल्यांकन संबंधित जिला के सहायक निदेशक उद्यान एवं जिला में अवस्थित कृषि विज्ञान केन्द्र के वैज्ञानिक द्वारा संयुक्त रूप से किया जायेगा तथा सही पाये जाने वाले प्रस्ताव को अनुशंसा के साथ SLEC में स्वीकृति हेतु निदेशक उद्यान, बिहार, पटना को उपलब्ध कराया जायेगा। मुख्यालय स्तर पर तकनीकी सहायता दल द्वारा जाँच किया जायेगा।

8. प्रस्तावित योजना की ईकाई लागत 20.00 लाख रुपये प्रति हेक्टेयर है। संशोधित कार्ययोजना पर SLSC से अनुमोदन की प्रत्याशा में दिनांक-28.01.2025 को SLSC अध्यक्ष का अनुमोदन प्राप्त है।

9. बजट शीर्ष के तहत केन्द्रांश एवं राज्यांश अन्तर्गत श्रेणीवार स्वीकृत राशि के तहत श्रेणीवार कृषकों का चयन कर नियमानुसार कार्यदेश निर्गत किया जायेगा।

10. भारत सरकार से प्राप्त मार्गदर्शिका के अनुरूप योजना का कार्यान्वयन किया जायेगा।

11. छोटी नर्सरी से बहुवर्षीय फलदार पौधा, औषधीय सुगंधित पौधा, बहुवर्षीय फूल, मौसमी फूल एवं विभिन्न प्रकार के सब्जियों के गुणवत्तायुक्त पौध सामग्री तैयार किया जायेगा।

12. योजनान्तर्गत नियमानुसार दो किस्तों में सहायतानुदान दिया जायेगा।

(क) अनुमोदित मॉडल प्रोजेक्ट के Fixed Cost के अवयव के तहत कार्य पूर्ण होने पर ईकाई लागत का 60 प्रतिशत सहायतानुदान प्रथम किस्त के रूप में दिया जायेगा।

(ख) मॉडल प्रोजेक्ट के Recurring एवं अन्य अवयव के तहत कार्य पूर्ण होने पर शेष 40 प्रतिशत सहायतानुदान द्वितीय एवं अंतिम किस्त के रूप में दिया जायेगा।

13. इस योजना का लाभ लेने हेतु किसानों का DBT पोर्टल पर पंजीकरण आवश्यक होगा। जिसका साक्ष्य मॉडल प्रोजेक्ट के साथ संलग्न करना आवश्यक होगा।

14. डी.बी.टी. पोर्टल पर पंजीकृत कृषक के द्वारा <http://horticulture.bihar.gov.in> "योजनाओं का लाभ लेने हेतु आवेदन करें" लिंक पर Click कर Dashboard पर उपलब्ध छोटी नर्सरी की स्थापना, आवेदन करें" लिंक पर जाकर आवेदन किया जायेगा।

15. DBT कार्यक्रम के तहत लाभुकों को अनुमान्य अनुदान की भुगतान दो विधि In cash transfer या In Kind Transfer में से किसी भी विधि से किया जा सकता है, बशर्ते कि लाभुक कृषकों का Biometric Authentication उनके आधार नम्बर के साथ हो।

16. एकीकृत बागवानी विकास मिशन के सफलतापूर्वक संचालन हेतु राज्य स्तर पर बिहार बागवानी विकास सोसाईटी एवं जिला स्तर पर जिला बागवानी विकास समिति गठित है। बिहार बागवानी विकास सोसाईटी के अध्यक्ष कृषि उत्पादन आयुक्त एवं राज्य स्तर पर कार्यकारी प्रधान –सह– सदस्य सचिव, मिशन निदेशक नामित हैं, जबकि जिला बागवानी विकास समिति के अध्यक्ष संबंधित जिला के जिला पदाधिकारी तथा कार्यकारी प्रधान –सह– सदस्य सचिव सहायक निदेशक उद्यान नामित हैं।

17. सामान्य वर्ग पर 83.903 प्रतिशत, अनुसूचित जाति 15 प्रतिशत एवं अनुसूचित जनजाति पर 1.097 प्रतिशत व्यय सुनिश्चित किया जायेगा। यह भी प्रयास किया जायेगा कि प्रत्येक कोटि के लाभुक में 30 (तीस) प्रतिशत महिला कृषकों की भागीदारी सुनिश्चित हो।

18. कृषि विभाग द्वारा स्वीकृति वार्षिक कार्ययोजना के अनुरूप केन्द्रांश एवं राज्यांश की राशि ट्रेजरी मोड में वित्तीय लक्ष्य के अनुरूप निदेशक उद्यान, बिहार, पटना को उपलब्ध करायी जायेगी। कृषि विभाग द्वारा आवंटित केन्द्रांश की राशि एवं समानुपातिक राज्यांश की राशि को SNA Sparsh के माध्यम से व्यय की जायेगी। मिशन निदेशक के द्वारा केन्द्रांश, समानुपातिक राज्यांश का लिमिट, व्यय हेतु जिलावार स्वीकृति के आलोक में नियमानुसार राशि संबंधित कार्यान्वयन एजेंसी/संबंधित सहायक निदेशक उद्यान को उपलब्ध कराया जायेगा। विस्तृत विवरणी अनुसूची-3 के रूप संलग्न है।

19. योजनान्तर्गत आय-व्यय की लेखा संधारण में PFMS के EAT Module का उपयोग किया जायेगा।

20. योजना कार्यान्वयन के संबंध में यथा आवश्यक संशोधन वित्तीय सीमा के अन्दर प्रशासी विभाग द्वारा किया जा सकता है।

21. योजना अन्तर्गत स्वीकृत राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र कार्यान्वयन एजेंसी के द्वारा प्रशासी विभाग एवं महालेखाकार (ले० एवं ह०), बिहार, पटना को स्वीकृत्यादेश के निर्गत तिथि से 18 माह के अन्दर उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जायेगा। महालेखाकार (ले० एवं ह०) को अंकेक्षण का अधिकार होगा।

22. वित्त विभाग के पत्रांक 2561 दिनांक 17.04.1998 का अनुपालन संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।

23. इस योजना के सर्वोच्च नियंत्री पदाधिकारी निदेशक उद्यान, बिहार, पटना होंगे।

24. योजना के लिए वित्तीय वर्ष 2025-26 में बजट उपबंध से संबंधित विवरणी निम्न प्रकार है:-

(राशि लाख रु० में)		
बजट शीर्ष	उपबंधित राशि	स्वीकृत राशि
केन्द्रांश		
मुख्य शीर्ष "2401-फसल कृषि-कर्म, उपमुख्य शीर्ष-00, लघु शीर्ष 119- बागवानी तथा वनस्पति फसलें, माँग संख्या 01, उपशीर्ष 0224-राष्ट्रीय बागवानी मिशन, विपत्र कोड 01-2401001190224, पी०एफ०एम०एस० कोड-4138, विषय शीर्ष 0224-31-06 सहायक अनुदान-गैर वेतन।	4363.14	50.3418
मुख्य शीर्ष "2401-फसल कृषि-कर्म, उपमुख्य शीर्ष-00, लघु शीर्ष 789- अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना, माँग संख्या 01, उपशीर्ष 0235-राष्ट्रीय बागवानी मिशन, विपत्र कोड 01-2401007890235, पी.एफ.एम.एस. कोड- 4138, विषय शीर्ष 0235-31-06 सहायक अनुदान-गैर वेतन।	780.00	9.0000
मुख्य शीर्ष "2401-फसल कृषि-कर्म, उपमुख्य शीर्ष-00, लघु शीर्ष 796- जनजातीय क्षेत्र उप योजना, माँग संख्या 01, उपशीर्ष 0257-राष्ट्रीय बागवानी मिशन, विपत्र कोड 01-2401007960257, पी०एफ०एम०एस० कोड- 4138, विषय शीर्ष 0257-31-06 सहायक अनुदान-गैर वेतन।	57.06	0.6582
योग	5200.20	60.0000

राज्यांश		
मुख्य शीर्ष "2401-फसल कृषि-कर्म, उपमुख्य शीर्ष-00, लघु शीर्ष 119- बागवानी तथा वनस्पति फसलें, माँग संख्या 01, उपशीर्ष 0324-राष्ट्रीय बागवानी मिशन, विपत्र कोड 01-2401001190324, पी०एफ०एम०एस० कोड- 4138, विषय शीर्ष 0324-31-06 सहायक अनुदान-गैर वेतन।	742.01	33.5612
मुख्य शीर्ष "2401-फसल कृषि-कर्म, उपमुख्य शीर्ष-00, लघु शीर्ष 789- अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना, माँग संख्या 01, उपशीर्ष 0335-राष्ट्रीय बागवानी मिशन, विपत्र कोड 01-2401007890335, पी.एफ.एम.एस. कोड- 4138, विषय शीर्ष 0335-31-06 सहायक अनुदान-गैर वेतन।	520.00	6.0000
मुख्य शीर्ष "2401-फसल कृषि-कर्म, उपमुख्य शीर्ष-00, लघु शीर्ष 796- जनजातीय क्षेत्र उप योजना, माँग संख्या 01, उपशीर्ष 0357-राष्ट्रीय बागवानी मिशन, विपत्र कोड 01-2401007960357, पी. एफ.एम.एस. कोड- 4138, विषय शीर्ष 0357-31-06 सहायक अनुदान-गैर वेतन।	38.04	0.4388
योग	1300.05	40.0000
कुल योग	6500.25	100.0000

25. वित्त विभाग के संकल्प संख्या-12888 दिनांक 03.12.2024 तथा पत्रांक-201 दिनांक 13.03.2025 में निहित प्रावधान के आलोक में योजना प्रस्ताव पर विभागीय स्थायी वित्त समिति की अनुशंसा दिनांक-24.04.2025 को आयोजित बैठक में प्राप्त है। योजना प्रस्ताव एवं स्वीकृत्यादेश प्रारूप पर सचिव, कृषि का अनुमोदन संचिका संख्या- NHM/BHDS/53/2025 के पृ०सं०-15/टि० पर दिनांक-24.04.2025 को प्राप्त है।

26. वित्त विभागीय परिपत्र संख्या-7355 वि० (2) दिनांक 05.10.2007 के आलोक में महालेखाकार, बिहार, पटना से प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।

27. स्वीकृत्यादेश प्रारूप में आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति संचिका संख्या- NHM/BHDS/53/2025 के पृष्ठ संख्या-18/टि० पर दिनांक 25.04.2025 को प्राप्त है, जिसका डायरी संख्या-254 दिनांक 25.04.2025 है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से


(कल्पना कुमारी)
अपर सचिव,

कृषि विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक :- NHM/BHDS/53/2025

/पटना दिनांक 2025

प्रतिलिपि : प्रभारी पदाधिकारी, अंकेक्षण, महालेखाकार (ले० एवं ह०) कार्यालय, वीरचन्द्र पटेल पथ, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


अपर सचिव,
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक :- NHM/BHDS/53/2025

/पटना दिनांक

2025

प्रतिलिपि : योजना एवं विकास विभाग/वित्त विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


अपर सचिव,

कृषि विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक :- NHM/BHDS/53/2025

-पीपी०एम०-०८-

/पटना दिनांक 25/04/ 2025

प्रतिलिपि : सभी प्रमण्डलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


अपर सचिव,

कृषि विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक :- NHM/BHDS/53/2025

-पीपी०एम०-०८-

/पटना दिनांक 25/04/ 2025

प्रतिलिपि : सचिवालय कोषागार पदाधिकारी, विकास भवन, पटना/सभी जिला कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


अपर सचिव,

कृषि विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक :- NHM/BHDS/53/2025

-पीपी०एम०-०८-

/पटना दिनांक 25/04/ 2025

प्रतिलिपि : माननीय कृषि मंत्री के आप्त सचिव/कृषि उत्पादन आयुक्त के प्रधान आप्त सचिव, बिहार, पटना/सचिव, कृषि के आप्त सचिव/कृषि निदेशक, बिहार, पटना/निदेशक उद्यान, बिहार, पटना/मिशन निदेशक, राज्य बागवानी मिशन, बिहार, पटना/अपर कृषि निदेशक, प्रसार, बिहार, पटना/निदेशक, भूमि संरक्षण, बिहार, पटना/निदेशक, पी०पी०एम०, कृषि विभाग, बिहार, पटना/सभी प्रमंडलीय संयुक्त निदेशक/सभी प्रमंडलीय उप निदेशक उद्यान/सभी जिला कृषि पदाधिकारी/सभी सहायक निदेशक उद्यान/सभी अनुमंडल कृषि पदाधिकारी/मुख्यालय स्थित सभी पदाधिकारीगण/बजट एवं योजना शाखा (सचिवालय एवं निदेशालय) कृषि विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


अपर सचिव,

कृषि विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक :- NHM/BHDS/53/2025

-पीपी०एम०-०८-

/पटना दिनांक 25/04/ 2025

प्रतिलिपि : उप निदेशक (शष्प), सूचना, बिहार, पटना/आई०टी० मैनेजर, कृषि विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर डालने एवं संबंधित पदाधिकारियों एवं कोषागार पदाधिकारी को ई-मेल से भेजने हेतु प्रेषित।


अपर सचिव,

कृषि विभाग, बिहार, पटना।

A

 

अनुसूची-1

वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए एकीकृत बागवानी विकास मिशन अन्तर्गत निजी क्षेत्र में छोटी नर्सरी की स्थापना संबंधित कार्य योजना

(भौतिक संख्या में एवं वित्तीय लाख रुपये में)								
क्र० सं०	अवयव	इकाई लागत / हे०	अनुदान की राशि / हे० (के) 50%	स्वीकृत अनुदान की राशि	भौतिक लक्ष्य (संख्या में)	वित्तीय लक्ष्य 2025-26 में देय कुल अनुदान की राशि		
1	2	3	4	5	6	केन्द्रांश 7	राज्यांश 8	कुल 9
1	वित्तीय वर्ष 2025-26 अन्तर्गत निजी क्षेत्र में छोटी नर्सरी की स्थापना	Rs. 20 Lakh/ha.	10.00	100.00	10.00	60.00	40.00	100.00
योग						60.00	40.00	100.00


(डॉ० राकेश कुमार)


निधि किशोर चौधरी (कुमार)
उद्यान निदेशालय, बिहार, पटना।

अनुसूची-2

वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए एकीकृत बागवानी विकास वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए एकीकृत बागवानी विकास मिशन अन्तर्गत निजी क्षेत्र में छोटी नर्सरी की स्थापना अवयव का भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य विवरणी

(भौतिक संख्या में एवं वित्तीय लाख रुपये में)													
क्र० सं०	भौतिक लक्ष्य (संख्या में)	वित्तीय लक्ष्य										कुल वित्तीय लक्ष्य	
		केन्द्रांश					राज्यांश						
		सामान्य	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति	कुल	सामान्य	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति	कुल	सामान्य	अनुसूचित जाति		अनुसूचित जनजाति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	10	50.3418	9.0000	0.6582	60.0000	33.5612	6.0000	0.4388	40.0000	83.9030	15.0000	1.0970	100.0000
(एक करोड़) रुपये मात्र													

निदेशक उद्यान
उद्यान निदेशालय, बिहार, पटना।

(डॉ० राकेश कुमार)

(अभिषेक कुमार)

अनुसूची-3

वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए एकीकृत बागवानी विकास वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए एकीकृत बागवानी विकास मिशन अन्तर्गत निजी क्षेत्र में छोटी नर्सरी की स्थापना अवयव का निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी

(भौतिक संख्या में एवं वित्तीय लाख रुपये में)													
क्र० सं०	निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी	वित्तीय लक्ष्य										कुल वित्तीय लक्ष्य	
		केन्द्रांश					राज्यांश						
		सामान्य	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति	कुल	सामान्य	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति	कुल	सामान्य	अनुसूचित जाति		अनुसूचित जनजाति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	निदेशक उद्यान, बिहार, पटना	50.3418	9.0000	0.6582	60.0000	33.5612	6.0000	0.4388	40.0000	83.9030	15.0000	1.0970	100.0000
(एक करोड़) रुपये मात्र													

निदेशक उद्यान
उद्यान निदेशालय, बिहार, पटना।

(अमिषेक कुमार)

(डॉ० राकेश कुमार)